भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2609

11 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम के पास अधिशेष चावल भंडार

2609. श्री पी. विल्सन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास निर्धारित बफर मानदंडों से अधिक संचित अधिशेष चावल भंडार का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान खरीदे गए धान की मात्रा, एफसीआई के पास उपलब्ध चावल भंडार तथा निर्धारित बफर मानदंडों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिशेष चावल भंडार के निरंतर संचय के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे अधिशेष भंडार के भंडारण और रखरखाव हेतु सरकार द्वारा किया गया वर्ष-वार व्यय कितना है; और

(ड.) किसानों के हितों की रक्षा करते हुए खरीद प्रणाली के अनुकूलन, अधिशेष भंडार में कमी तथा खाद्यान्न प्रबंधन में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): केंद्रीय पूल (बफर स्टॉक) में खाद्यान्न का कुल भंडार तथा खाद्यान्न भंडारण मानदंड निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख टन में)

दिनांक तक की स्थिति के अनुसार	चावल का स्टॉक	खाद्यान्न भंडारण मानदंड (बफर स्टॉक)
1 अप्रैल, 2026	386.10	135.80
1 जुलाई, 2026	403.11	135.40

(ख): खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से 2025-26 तक के लिए धान की खरीद, चावल का कुल स्टॉक तथा खाद्यान्न भंडारण मानदंड निम्नानुसार है:

...2/-

खरीफ विपणन मौसम	धान की खरीद (लाख टन में)	चावल का कुल स्टॉक (1 अप्रैल तक की स्थिति के अनुसार)	खाद्यान्न भंडारण मानदंड (1 अप्रैल तक की स्थिति के अनुसार बफर मानदंड)
2020-21	895.66	320.81	135.80
2021-22	857.30	291.18	135.80
2022-23	808.45	323.22	135.80
2023-24	772.61	248.60	135.80
2024-25	822.80	301.57	135.80
2025-26*	849.20	382.09	135.80

*आंकड़े दिनांक 02.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।

(ग): अधिशेष भंडारों का निरंतर संचय मूलतः केंद्रीय खाद्यान्न भंडार की संरचना में अंतर्निहित आपूर्ति-मांग असंतुलन द्वारा संचालित होता है।

1. खुली खरीद नीति: भारत सरकार एक खुली नीति लागू करती है जिसके तहत केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तुत धान की समस्त मात्रा की खरीद करती हैं।

2. कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खरीद: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आवश्यक अधिकतम वैधानिक आबंटन एवं उठान की तुलना में चावल की कुल खरीद निरंतर अधिक रही है।

(घ): पिछले पांच लेखापरीक्षित वित्तीय वर्षों के लिए एफसीआई द्वारा रखे गए चावल के बफर स्टॉक की व्यय वहन लागत निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	चावल की लेखापरीक्षित बफर वहन लागत (करोड़ रुपये में)
2020-21	3143.89
2021-22	4876.03
2022-23	739.97
2023-24	5831.27
2024-25	10171.71

...3/-

(ड़): यह विभाग टीपीडीएस/ओडब्ल्यूएस के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के लिए गेहूं और धान की खरीद करता है। साथ ही, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना तथा किसानों को एमएसपी प्रचालन का लाभ उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करता है। गेहूं और धान की खरीद के अनुमानों को भारत सरकार द्वारा प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से पहले संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, जिसमें अनुमानित उत्पादन, पिछले वर्षों की खरीद और विपणन योग्य अधिशेष सहित कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) {ओएमएसएस(डी)} के तहत बेचती है। इससे बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए खाद्यान्न को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, ओएमएसएस(डी) नीति के तहत आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रमशः दिनांक 06.11.2023 और 06.02.2024 को भारत आटा और भारत चावल योजनाएं शुरू की गईं।

धान के लिए एमएसपी के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, भारत सरकार ने राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/पीएसीएस/एफपीओ को शामिल करने का प्रावधान किया है ताकि अधिकतम किसान, मूल्य समर्थन प्रचालन का लाभ उठा सकें।

भारत सरकार ने देश के प्रत्येक क्षेत्र में एमएसपी पर खरीद कार्यों का विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद को भी प्रोत्साहित एवं बढ़ावा दिया है।
